(112)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल (म0प्र0) ग्वालियर

III/निगरानी/सिंगरौली/भूअरा/2018/01986

कृपाशंकर शुक्ल तनय स्व0 श्री कालिन्दी प्रसाद शुक्ल उम्र 64 वर्ष पेशा खेती एवं वकालत निवासी ग्राम कटौली थाना जियावन तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0).....निगरानीकर्त्ता

बनाम

ज्ञानेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी तनय तेजस्वी प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 45 वर्ष पेशा वकालत निवासी ग्राम खड़ौरा थाना जियावन तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0).....गैरनिगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी महोदय देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 के राजस्व अपील क0– 11/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

निम्नलिखित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील देवसर के द्वारा राजस्व प्रकरण क0 113/अ–6–अ/2004–05 में दिनांक 10.09.2004 में एक आदेश पारित किया गया जिसके जरिये आवेदक/निगरानीकर्ता को ग्राम पुरवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 की भूमि नया खसरा नंबर 347 रकवा 0.23हे. , 460 रकवा 0.48हे., का भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किया गया । तहसीलदार देवसर के समक्ष निगरानीकर्ता ने आवेदन

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा/2018/01986

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
19–5–18	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव द्वारा यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 11/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.03.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्त के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार देवसर के द्वारा प्रकरण कमांक 113/अ–6अ/2004–05 में दिनांक 10.9.04 में एक आदेश पारित किया गया जिसके जरिये आवेदक को ग्राम पुरवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0 प्र0 की भूमि नया खसरा नंबर 347 रकवा 0.23 है0, 460 रकवा 0.48 है0 का भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किया गया। तहसीलदार देवसर के समक्ष निगरानीकर्ता ने आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसके स्वामित्व की भूमि पुराना खसरा नंबर 103 में नये बंदोवस्त की कार्यवाही के दौरान 6.00 एकड़ रकवा कम कर दिया गया है, अर्थात आवेदक एवं उसके सहखातेदारों का स्वामित्व 6.00 एकड़ रकवा बावत समाप्त कर दिया गया है जिसमें आवेदक का हिस्सा 1.50 एकड़ होता है जिसकी पूर्ति कराई जाय तदनुसार तत्कालीन तहसीलदार देवसर के द्वारा पुराने खसरा नंबर 103 से तैयार किये गये नये	

खसरा नंबर 347 एवं 460 से जो शासन के स्वामित्व की भूमि थी आवेदक के पक्ष में रकवा पूर्ति का आदेश दिया गया जिसकी इत्तला भी राजस्व भू–अभिलेखों में तत्समय कर दी गई जो आजतक निरंतर चला आ रहा है।

3–प्रकरण में दिनांक 14.3.18 को अनावेदक द्वारा लिस्ट कागजात प्रस्तुत किये जिसकी प्रतियां आवेदक को प्रदाय नहीं की और न ही उसके संबंध में सुना गया और न ही उनसे कोई जबाव ही लिया गया जबकि अपील प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत होने की दशा में उसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने बावत पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना और उन्हें सुना जाना आवश्यक था किन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं करने से उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 11/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.03.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि दिनांक 14.3.18 को प्रस्तुत दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये आदेश पारित करें।

सदस्य